कार्यालय परियोजना प्रबंधक, माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेवढा, जिला दतिया (म. प्र.)

पत्र क्रमांक- तकनीकी/2019 प्रति.

सेवढा दिनांक 13-12-19.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू प्रबन्ध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- जिला दितया एवम जिला ग्वालियर के अंतर्गत माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेत् 1248.821 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा जिला ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्र. एफ-3/50/2019/10-11/6/3853 भोपाल दिनांक 11/12/2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवम संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके संदर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नानुसार प्रस्तुत है।

(1) टेबल क्रमांक 6 एवम 9 में KML फाइल, जियो रेफरेंस मैप एवम सर्वे ऑफ़ इंडिया की टोपोशीट में आवश्यक सुधार कर प्रस्ताव पुनः अपलोड किया जा रहा है।

(2) टेबल क्रमांक 1,2,4,6,7,8,9 एवम 10 में आपके द्वारा उल्लिखित भूमि में अतिक्रमण के संबंध में आश्वस्त किया जाता है कि कलेक्टर, भिंड के निर्देशन में गठित राजस्व विभाग, वन विभाग एवम जल संसाधन विभाग के संयुक्त दल द्वारा जहाँ भी अतिक्रमण पाया जायेगा, अतिक्रमण हटाकर ही भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रस्ताव स्वीकार करने के अनुरोध सहित प्रस्तुत !

सहपत्र :- शून्य

(एम.एल.साहू) परियोजना प्रबंधक मौं रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेवद्रा जिला दतिया(म. प्र.)

प्र. क्रमांक-

/तक/2019

सेवढ़ा दिनांक

प्रतिलिपि,

(1) परियोजना संचालक , माँ रतनगढ़ परियोजना प्रबंधन इकाई, दतिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) प्रोजेक्ट मैनेजर, एल. एंड टी. जियो जे. व्ही. केम्प स्योंढ़ा की ओर प्रकरण में रूचि लेकर गति प्रदान करने बावत

> परियोजना प्रबंधक मौ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेवढ़ा जिला दतिया(म. प्र.)

कार्यालय परियोजना प्रबंधक, माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेवढ़ा, जिला दितया (म. प्र.)

पत्र क्रमांक- 31 तकनीकी/2019 प्रति.

सेवढ़ा दिनांक 13-12-19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू प्रबन्ध) संतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना हेतु नवीन कार्यालय खोलने वावत सन्दर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय का आदेश क्र. एफ-1-13/2019/पी-1/इकतीस भोपाल

दिनांक २९ नवम्बर २०१९

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवम संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय का आदेश क्र. एफ-1-13/2019/पी-1/इकतीस भोपाल दिनांक 29 नवम्बर 2019 के अनुसार माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के कार्य को गति प्रदान करने हेतु नवीन कार्यालय की स्थापना सेवढ़ा जिला दितया में दिनांक 2/12/2019 को की गई जिसकी छाया प्रति संलग्न है | माँ रतनगढ़ परियोजना के वन प्रकरण की स्वीकृति से सम्बंधित पत्र व्यवहार का पता

निम्नानुसार रहेगा | परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिविल लाइन, लो.नि.वि. कालोनी रेस्ट हाउस के पीछे, सेवढ़ा जिला दितया (म.प्र.) पिन कोड- 475682

सहपत्र :- आदेश की प्रति

(एम.एल.साहू) परियोजना प्रवंधक मौँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेवढ़ा जिला दतिया(म.प्र.)

मध्यप्रवेश शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय

=संशोधन आवेशः

भोपाल,विनांक 🙎 जनवन्वर,2019

क्रमांक एफ-1-13/2019/पी-1/इकतीस-राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आवेश विनांक 31 अक्टूबर,2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

01— समसंख्यक आदेश की कण्डिका—1 की टेबिल की कार्यपालन यंत्री, सिंघ परियोजना दांयी तट नहर संभाग,नरवर—शिवपुरी(141) [3903102008] को नवीन नाम से अर्थात् परियोजना प्रवासक, माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक—1 (एमआर पीआईयू,क—1,डब्ल्यूआरडी) मी जिला—भिण्ड(141) [डीडीओ-] परिशिष्ट—1, में दर्शाए पद सहित पुनीविनियोजन फलस्वरूप स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी एतद्—द्वारा निरस्त करते हुए अरथाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यपालन यंत्री,सिंघ परियोजना दांयी तट नहर संमाग, नरवर— शिवपुरी(141) [3903102008] के नाम से प्रशासकीय सहित में यथावत मय उपसंभागीय कार्यालय सहित स्थापित रहने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

01— कार्यपालन यंत्री, सिंघ परियोजना दांयी तट नहर संभाग, नरवर जिला—शिवपुरी(141)3903102008)

[1]— अनुविभागीय अधिकारी, मोहनी पिकअप धीयर उपसंगाग

नरवर जिला -शिवपुरी(0130)

02-

[2]— अनुविभागीय अधिकारी सिंघ परियोजना दोआब नहर उस क्र—1 नरवर शिवपुरी(0280)

[3]— अनुविभागीय अधिकारी सिंध परियोजना दांयी तट नहर

उपसंमाग क-1 ,नरवर-शिवपुरी(0545)

अनुविभागीय अधिकारी,हरसी उच्च स्तरीय प्रवाह नहर उपसंभाग कमांक—4 डबरा(0040) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक—2 डबरा जिला— ग्वालियर (213) [1423102011] को परियोजना प्रधासक, माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक—1 (एमआर पीआईयूक्र—1,डब्ल्यूआरडी) मी जिला—मिण्ड(141) [डीडीओ—] परिशिष्ट—1 एवम परिशिष्ट—3 अनुसार समाहित किया गया था, एतद द्वारा निरस्त किया जाता है । इसके फलस्वरूप उक्त उपसंभाग यथावत अनुविभागीय अधिकारी,हरसी उच्च स्तरीय प्रवाह नहर उपसंभाग क्मांक—4 डबरा(0040) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक—2 डबरा जिला— ग्वालियर(213) [1423102011] कार्यरत रहेगा ।

03— कार्यपालन यंत्री,बान सुजारा बांघ जल संसाधन संमाग,टीकमगढ(097) [4203102012] को नवीन नाम से परियोजना प्रवासक,माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक—2, [एमआरपीआईयू,क्र—2,डब्ल्यूआरडी] मी, जिला—मिण्ड(097) [डीडीओ.—] में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी,

एतद द्वारा संशोधित करते हुऐ प्रशासकीय हित में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक परियोजना प्रवासक,मॉ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई[एम आरपीआईयू,डब्ल्यूआरडी) सेवढ़ा जिला- दतिया(097) [डीडीओ.—] में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, पदों का विवरण पूर्ववत रहेगा । शेष आदेश यथावत रहेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> 19459/11/19 [विनोद सिंह टेकाम] उप सचिव मध्यप्रदेश शासन. जल संसाधन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-1-13/2019/पी-1/इकतीस प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक २९ नवम्बर,2019

महालेखाकार, लेखा एवम् हकदारी,1, भोपाल /ग्वालियर [मध्यप्रदेश]। कृपया कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग, नरवर,जिला-शिवपुरी(141)3903102008) पूर्व की भॉति वर्ष 2019-2020 हेतु प्राधिकार पत्र यथावत रखने का कष्ट करें । विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सह आयुक्त, संचालनालय कोष एवम् लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल

[मध्यप्रदेश] कृपया कार्यपालन यंत्री, सिंघ परियोजना दांयी तट नहर संभाग, नरवर, जिला-शिवपुरी(141)3903102008) के पूर्व से स्वीकृत पदों को डीडीओ कोड़ तथा पद यथावत मुख्य सर्वर में प्रविष्टियाँ यथावत रखने का कष्ट करें ।

प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,भोपाल ।

समस्त परियोजना संचालक/मुख्य अभियंता, सम्बन्धित अतिरिक्त परियोजना संचालक/अधीक्षण यंत्री,.....

सम्बन्धित कार्यपालन यंत्री/अनुविभागीय अधिकारी..... सम्बन्धित कोषालय अधिकारी.....

सम्बन्धित आयुक्त/कलेक्टर..... वेब मैनेजर(EIMS){कार्यपालन यंत्री} प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विमाग, भोपाल(01) को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल विभाग की बेवसाईट पर आदेश की प्रविष्टि कराएँ । 10- शेडो नस्ती ।

ओर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।संलग्नः-उपरोक्तानुसार ।

मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग